कार्यालय, सचिव, देहरादून जू प्रबन्धन संस्था, मालसी, देहरादून।

पत्रांक 16 /3–3(देहरादून जू) दिनांकःदेहरादूनःफरवरीः 09, 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

देहरादून जू मालसी में रखे गये विभिन्न पशु/ पक्षियों/मछलियों हेतु दिनांक 31.03.2024 तक के लिए निम्नलिखित सामग्री कय करने के लिए निविदायें **दिनांक 27.02.2023** तक प्रधान कार्यालय, देहरादून वन प्रभाग में अपराह्न 4 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र प्रधान कार्यालय, 5 तिलक रोड़, देहरादून से दिनांक **25.02.2023 सांय 4 बजे** तक कय किये जा सकते है। निधारित तिथि एवं समय के बाद आने वाले टेण्डर रदद समझे जायेंगे। डाक व अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं के लिये देहरादून जू प्रबन्धन संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी0एस0टी0 का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें **दिनांक 28. 02.2023 को अपराह्न 4.30** बजे अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की वेबसाईड www.forest.uk.gov.in/. में देखी जा सकती है।

क0 सं0	सामग्री का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि	कय की जाने वाले सामग्री की मात्रा
1.	देहरादून जू के अन्तर्गत जानवरों हेतु हरा चारा कय करना 1– हरा चारा 2– हरे चारे की कुट्टी (कटी हुई घास)	₹ 50,000/–	₹ 500 + 18%GST	31.03.2024	वास्तविक मांग के अनुसार
2.	देहरादून जू के अन्तर्गत मांशाहारी जानवरों हेतु मांस 1– भैंसा का मांस 2– भैंसा का मांस बिना हड्डी वाला 3– बकरे का मांस (पूरी रान) 4– मुर्गे का मांस 5– मछली 6– रोहू मछली (4 से 5 ईंच) 7–अण्डे	₹ 50,000/–	₹ 500 + 18%GST	31.03.2024	वास्तविक मांग के अनुसार
3.	**देहरादून जू के अन्तर्गत जानवरों हेतु निम्न सामग्री कय करना :–** 1– बाजरा, 2– मक्का, 3– चोकर, 4–खल, 5–कंगनी, 6– कणकी, 7–गेहूं 8–भुना चना, 9– मुर्गी दाना, 10–सोयाबीन, 11–नमक गारे वाला, 12–गुड़, 13–कच्ची मूंगफली (गिरी दाना), 14–भुना चना, 15–सूरजमुखी का बीज, 16–बतीसा, 17–अखरोट(कागजी), 18–काबली चना, 19–मिक्स फीड 20–हल्दी पाउडर 21–हल्दी साबूत, 22–उड़द, 23–मूंग, 24–मलका, 25–अरहर, 26'तिल सफेद 27–सरसों काली 28–नमक काला, 29–सेंधा नमक, 30–समुद्रीझाग	₹ 50,000/–	₹ 500 + 18%GST	31.03.2024	वास्तविक मांग के अनुसार
4.	**देहरादून जू के अन्तर्गत मछलियों हेतु निम्न सामग्री कय करना :–** 1-Tetrabit, 2-Shrimp, 3-Arowana Stick, 4-Cichlid Staple/Humpy Head, 5-Cichlid Gold/Red Parrot, 6-Optimum big pellets/Okan, 7-Gene Eleven (Marine Fish Feed), 8-Invertebrate Food. **Medicine –** 1-Paracidol, 2-Stress Heal, 3-Anti-Fungus, 4-Anti Chlorine, 5-Ich Guard (Methylene BLUE), 6-Marine Bachtonil, 7-Elite Nitr-O-Nil(For marine fishes)	₹ 50,000/–	₹ 500 + 18%GST	31.03.2024	वास्तविक मांग के अनुसार

नोटः– शर्ते एवं प्रतिबन्ध कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

आई. टी. ए. जी.
आवश्यक कार्यवाही करें

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सचिव,
देहरादून जू प्रबन्धन संस्था,मलासी, देहरादून।

D. F.
14.2.2023

(2)

निविदा की शर्ते

1– प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग टेण्डर दिया जाएगा, जिस सामग्री के लिए टेण्डर दिया जा रहा है उसे स्पष्ट शब्दों मं लिफाफे के बाहर लिखें। सशर्त टेण्डर रद्द समझे जायेगें।

2– सामग्रियों की दर कार्यादेश जारी होने की तिथि से 31.03.2024 तक मान्य होगा।

3– **निविदा के साथ ऊपर अंकित धरोहर धनराशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैक की सी0डी0आर0/ एफ0डी0आर0 या पोस्ट आफिस की पास बुक होना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि सचिव, देहरादून जू प्रबन्धन संस्था, मालसी के नाम पर प्लेज होना चाहिये। बिना धरोहर धनराशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

4– **निविदा के साथ ₹ 100.00 का स्टाम्प पेपर पर ₹ 1.00 का रसीद टिकट हस्ताक्षर युक्त होना अनिवार्य होगा।**

5– फर्म को शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियमों का पालन करना होगा।

6– फर्म के बीजक से नियमानुसार आयकर–जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

7– **फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना चाहिये तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

8– **फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण होना चाहिये तथा आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

9– **खाद्यान्न हेतु टेण्डर देने वाली फर्मों को Food Safety & Standard Authority Act 2006 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। खाद्यान्न उच्च स्तर को होना चाहिये, किसी भी त्रुटि के लिए फर्म उत्तरदायी रहेगीं।**

10– प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

11– सामग्री की दरें एफ0ओ0आर0, देहरादून जू, मालसी तक मान्य होगी, जिसके लिये अलग से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा।

12– देहरादून जू, मालसी प्रत्येक सोमवार को बन्द रहेगा।

13– मांसाहारी जानवरों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित गोस्त की आपूर्ति ही मान्य होगी।

14– खाद्यान्न एवं चारा की मात्रा आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।

15– निविदादात्ता आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री की कीमत समस्त करों सहित दें। पृथक से कोई भी कर देय नहीं होगा।

16– उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघन पर देहरादून जू प्रबन्धन संस्था संबंधित ठेकेदार/ फर्म के उपर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

17– उक्त सभी सामग्रियों की आपूर्ति प्रातः 9 से अपराह्न 1 बजे तक करना होगा।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सचिव,
देहरादून जू प्रबन्धन संस्था,मलासी, देहरादून।

कार्यालय सचिव, देहरादून जू प्रबंधन संस्था, मालसी, देहरादून

पत्रांक 16 /3–3(देहरादून जू)दिनांकःदेहरादूनःफरवरी 09, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, वन एंव वन्यजीव/अध्यक्ष, देहरादून जू प्रबंधन संस्था।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0.सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/को0अध्यक्ष देहरादून जू प्रबंधन संस्था।
7. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
8. वन क्षेत्राधिकारी, देहरादून जू मालसी।
9. कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सचिव,
देहरादून जू प्रबंधन संस्था, मालसी
देहरादून।